रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14012020-215401
SG-DL-E-14012020-215401

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 360
No. 5]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941	[N.C.T.D. No. 360

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

स.मु.चु.अ./चु.सं./102(22)/डी.एल.ए.-20/2019/8766.—यत:, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 (1992 का 1) की धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विद्यमान विधानसभा जब तक शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 22 फरवरी, 2020 (शनिवार) सहित और उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात इसकी अवधि समाप्त होने पर भंग मानी जाएगी; तथा

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 15 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की नई विधानसभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991(1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल एतद्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त

अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

उप राज्यपाल के नाम पर तथा उनके आदेश से,

विजय कुमार देव, मुख्य सचिव

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 14th January, 2020

No. CEO/COE/102(22)/DLA-20/2019/8766.—WHEREAS, in accordance with the provisions of Section 5 of Government of the National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), the existing Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, unless sooner dissolved, shall continue up to and including 22nd February 2020 (Saturday) and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to call upon all the Assembly Constituencies in the National Capital Territory of Delhi, to elect members to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,

VIJAY KUMAR DEV, Chief Secretary

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

स.मु.चु.अ./चु.सं./102(22)/डी.एल.ए.-20/2019/8767.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

सं. 464/दिल्ली-वि.स./2020.—यत:, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी तथा 14 जनवरी 2020 (मंगलवार) को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें;

2. अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) प्रत्येक निर्वाचन- क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क)	नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	:	21 जनवरी 2020 (मंगलवार);
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	22 जनवरी 2020 (बुद्धवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	:	24 जनवरी 2020 (शुक्रवार);
(घ)	वह तारीख, जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	08 फरवरी 2020 (शनिवार);
(ङ.)	वह तारीख, जिस से पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	13 फरवरी 2020 (बृहस्पतिवार)

नियत करता है; और

(आ) **8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न** तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव"

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश द्वारा,

डॉ० रणबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 14th January, 2020

No.CEO/COE/102(22)/DLA-20/2019/8767.—The following is published for General Information:—

"ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2020

No. 464/DEL-LA/2020.— Whereas, the lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi has, by notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the National Capital Territory on the 14th January 2020 (Tuesday), been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the National Capital Territory of Delhi, to elect members to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. Now, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **appoints**, with respect to the said election in each of the constituencies,-

(a) the 21st January 2020 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 22nd January 2020 (Wednesday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 24th January 2020 (Friday), as the last date for withdrawal of candidatures;

(d) the 08th February 2020 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary,be taken; and

(e) the 13th February 2020 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) **fixes the hours** from **8.00 AM to 06.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

AJOY KUMAR, Secretary

To The Election Commission of India

By Order

Dr. RANBIR SINGH, Chief Electoral Officer , Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.01.14 19:51:12 +05'30'